प्रधान कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक 228 /1003–2303–डी०टी०ई०परीक्षा/2019, दिनांक 05 /08/2019

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० जल निगम लेखाकार सेवाविनियमावली–1997 में निहित सुसंगत प्राविधान अनुसार, उ०प्र० जल निगम लेखा संवर्ग के अन्तर्गत सीधी भर्ती अथवा पदोन्नत से नियुक्त लेखाकारों (कार्यवाहक लेखाकारों को छोडते हुए) हेतु अनिवार्य लेखाकार श्रेणी की विभागीय परीक्षा कैलेन्डर वर्ष–2019 में द्वितीय बार दिनांक 23.06.2019 से 25.06.2019 तक आयोजित कराई गई।

कार्यालय के पत्रांक 157/1003–2303–डी०टी०ई०(द्वितीय)/2019, दिनांक 15.06.2019 द्वारा संदर्भित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले कुल 38 पात्र परीक्षार्थियों (12 सीधी भर्ती एवं 26 पदोन्नत के माध्यम से लेखाकार के पद पर नियुक्त लेखाकार) की सूची (कर्मचारी कोड एवं परीक्षा हेतु निर्गत अनुक्रमांक सहित) निर्गत की गई।

दिनांक 23.06.2019 से 25.06.2019 तक आयोजित संदर्भित परीक्षा में सीधी भर्ती के माध्यम से लेखाकार के पद पर नियुक्त कुल 12 परीक्षार्थी (लेखाकार) में से कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित नही हुए। पदोन्नत के माध्यम से लेखाकार के पद पर नियुक्त कुल 26 परीक्षार्थियों (लेखाकार) में से मात्र 02 परीक्षार्थी (**श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव**, अनुक्रमांक–एलपी 1003230313 एवं **श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव**, अनुक्रमांक–एलपी 1003230319) ही परीक्षा में सम्मिलित हुए।

सेवाविनियमावली–1997 की अनुसूची–02 के अनुसार लेखाकारों की विभागीय लेखा परीक्षा हेतु कुल छः प्रश्न पत्र निर्धारित है। परीक्षार्थियों को विभागीय लेखा परीक्षा के समस्त प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होने हेतु निर्धारित कुल छः प्रश्न पत्रों में प्रत्येक प्रश्न पत्र के निर्धारित पूर्णाक मे से 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किये जाने का प्राविधान है। तथा छूट प्रदान किये जाने हेतु प्रश्न पत्र–"निबन्ध अथवा सार–लेखन पत्राचार एवं व्याकरण" में पूर्णाक का 45 प्रतिशत, प्रश्न पत्र–"हिन्दी निबन्ध" में कुल पूर्णाक का 40 प्रतिशत अंक तथा शेष प्रश्न पत्रों के कुल पूर्णाक के 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये जाने का प्राविधान है।

जॉचकर्ताओं द्वारा दिनांक 23.06.2019 से 25.06.2019 तक आयोजित लेखाकार श्रेणी की विभागीय परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जॉच कर उपलब्ध कराये गये परीक्षा परिणाम में श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव को प्रश्न पत्र "उ०प्र० जल निगम लेखा एवं कार्य विधि(प्रायोगिक)" के पूर्णाक 150 में से 52 अंक प्रदान किये है, जो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम प्राप्तांक 40 प्रतिशत अर्थात् 60 अंक से कम है एवं श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव को प्रश्न पत्र "प्रारम्भिक बही खाता एवं उ०प्र० जल निगम लेखा एवं कार्य विधि(प्रायोगिक)" के पूर्णाक 150 में से क्रमशः 45 एवं 31 अंक प्रदान किये है, जो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम प्राप्तांक 40 प्रतिशत अर्थात् 60 अंक से कम है तथा जो नियमानुसार "**अनुतीर्ण**" है।

विभाग के महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यो एवं लेखाकारों के हितों के सम्बन्ध में सक्षम स्तर द्वारा सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 23.06.2019 से 25.06.2019 तक आयोजित लेखाकार श्रेणी की विभागीय परीक्षा में अनुतीर्ण परीक्षार्थियों (लेखाकार) की अनुपूरक परीक्षा (Suplimentary Exam) आयोजित कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

सक्षम स्तर द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के अनुपालन में दिनांक 23.06.2019 से 25.06.2019 तक आयोजित लेखाकार श्रेणी की विभागीय परीक्षा में अनुतीर्ण परीक्षार्थियों (लेखाकार) की उ०प्र० जल निगम लेखाकार सेवाविनियमावली–1997 में निहित अनुसूची–02 द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित प्रश्न–पत्रों, जिनमें वे अनुतीर्ण है के साथ–साथ जिन प्रश्न पत्रों में सेवाविनियमावली अनुसार छूट प्रदान किये के प्राविधान अनुसार,भी अनुतीर्ण है, की अनुपूरक परीक्षा (Suplimentary Exam) दिनांक 29.08.2019 एवं 30.08.2019 में प्रस्तावित की जाती है।

उपरोक्तानुसार आयोजित अनुपूरक परीक्षा में अनुतीर्ण परिक्षार्थियों **श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव** (अनुक्रमांक–एलपी 1003230313) प्रश्न पत्र–"उ०प्र० जल निगम लेखा एवं कार्यविधि (प्रायोगिक)" के साथ–साथ प्रश्न पत्र–"प्रारम्भिक बही खाता" तथा **श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव** (अनुक्रमांक–एलपी 1003230319) प्रश्न पत्र–"उ०प्र० जल निगम लेखा एवं कार्यविधि (प्रायोगिक), प्रारम्भिक बही खाता" के साथ–साथ प्रश्न पत्र–"लोक निर्माण लेखा एवं कार्य विधि" की अनुपूरक परीक्षा में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

दिनांक	पाली	विषय/प्रश्नपत्र	समय	अनुपूरक परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा स्थल
29.08.2019	प्रथम पाली	1– प्रारम्भिक बही खाता	प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 01:30 बजे तक	**प्रधान कार्यालय उ०प्र० जल निगम, लखनऊ में ब्लॉक–'सी' के प्रथम तल पर स्थित कमेटी हाल**
	द्वितीय पाली	2– लोक निर्माण लेखा एवं कार्य विधि	अपरान्ह 02:30 बजे से सांय 04:00 बजे तक	
30.08.2019	प्रथम पाली	1– उ०प्र० जल निगम लेखा एवं कार्यविधि (प्रायोगिक)	पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक	

(राज प्रताप सिंह)
वित्त निदेशक/नियुक्ति प्राधिकारी

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर–1/2), उ०प्र० जल निगम।
4. निदेशक (सी०एण्ड डी०एस०) उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
5. सचिव(प्रशासन/व्यवस्था), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता(विधि), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
7. मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
8. श्री ऋषभ कपूर, विभागीय अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय इलाहाबार लखनपऊ खण्डपीठ लखनऊ।
9. अनुपूरक परीक्षा हेतु पात्र परीक्षार्थियों (लेखाकार) को (नाम से)।
10. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।

(नीलम सिंह)
वित्त विश्लेषक